

एल0 एल0 आर0 पंजाब और हरियाणा

(सुप्रा) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत के एक बिंदु के रूप में यह निर्धारित किया है कि कर्मचारियों को दिया गया अधिक भुगतान उनके द्वारा बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(6) मेरी अध्यनीय राय में दोनों विद्वान वकीलों के तर्क बहुत अतिवादी/दुरुत हैं। चंडी प्रसाद उनियाल (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर किसी भी मामले में राशि की वसूली का आदेश नहीं दिया जा सकता है और फलतया उसे रद्द किया जा सकता है। उत्तरदाताओ/प्रतिवादियों को आज से एक महीने की अवधि के अन्दर याचिकाकर्ता को 3,50,000ध. की ग्रेच्युटी राशि जारी करने का निर्देश दिया जाता है तथा ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति की तारीख से भुगतान की तारीख तक 8 प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ राशि वसूल करने का हकदार होगा।

(7) पुनर्निर्धारण के संबंध में यदि याचिकाकर्ता आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 3 को अपना दृष्टिकोण और कारण बताते हुए एक अभ्यावेदन दायर करता है तो उनकी राय में वेतन का पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी नंबर 3 को इस पर विचार करने और तीन महीने की अवधि के भीतर उस पर एक स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद यदि याचिकाकर्ता किसी राहत का हकदार पाया जाता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर जारी किया जाए।

(8) याचिका निरस्त

माननीय श्री के कन्नन के समक्ष, न्यायमूर्ति

अंतू पुत्र शहजादा, पुत्र दीवाना और अन्य-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा सरकार/ भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, कैथल हरियाणा आदि

त्थ। छवण् 2973 व्थ् 1994

17ण् कमबएण् 2012

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एस0 एस0, 4,6 और 18 वृद्वि आधार-तुलनीय बिक्री कार्य-
दावेदारों ने वृद्वि की मांग के मुआवजे का आरोप है । भूमि मालिकों द्वारा उत्पादित बिक्री
कार्यों को उचित मूल्य के मूल्यांकन के उद्देश्य से नहीं माना गया था - माना गया कि
पुरस्कारों को चार साल पहले उपलब्ध तुलनीय बिक्री कार्यों के आधार पर संशोधित किया जाना
था । जिसमें वर्तमान गांव की संपत्ति के लिए उपयुक्त वृद्धि और कटौती समायोजन शामिल
थे। होल्डिंग और, इस प्रकार, मूल्य को 38,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,20,000 प्रति एकड़
किया जाना था । जोकि राज्य एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए न्यायालय की सहायता करेगा
। भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मामलों से निपटने के लिए सभी सिविल न्यायालयों में सिद्धांतों
को लागू करना का दिशानिर्देश निर्धारित और प्रसारित करने का आदेश दिया गया। .

माना गया कि अपीलकर्ता लेन देन के माध्यम से जो सबसे अच्छी कीमत दिखाने में सक्षम हुए हैं वह 2 कनाल 3 मरला के लिए 1,19,069 है। जोकि कीमतें बहुत भिन्न- भिन्न होती हैं और मूल्यांकन में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई थी। यह बिक्री वर्ष 1979 के लिए की गई थी और यदि अपीलकर्ता की अधिसूचना दिनांक 18.11.1983 को जारी की गई थी, तो इस बात के लिए भी एक शर्त लागू की जानी चाहिए कि यह 1 या 2 कनाल की संपत्ति की छोटी सीमा के लिए था। जोकि संपत्ति एक गाँव में स्थित है, इसलिए वृद्धि की औसत दर 7.5% मानी जानी चाहिए और 4 वर्षों के लिए संपत्ति का मूल्यांकन 30% बढ़ गया होगा। तथ्य यह है कि संपत्ति का अधिग्रहण 138 कनाल की सीमा के लिए था जो लगभग 18 एकड़ के बराबर है। वृद्धि के प्रतिशत के रूप में क्या प्राप्त करना चाहिए अर्थात्। इस मामले में 30% की दर से कटौती की जाएगी, क्योंकि संपत्ति की अपेक्षाकृत छोटी सीमा को अभिग्रहीत भूमि की बड़ी सीमा के लिए उदाहरण के रूप में लिया जाता है। उन्होंने खुद को भी बाहर कर लिया और अर्जित संपत्ति के लिए उचित निर्धारण के रूप में 1,20,000- प्रति एकड़ के उच्चतम मूल्य के करीब की कीमत को अपनाया गया।

सम्बन्धित न्यायालय द्वारा मूल्यांकन के अनुसार संपत्ति का मूल्य संशोधित और 38,000- प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,20,000- प्रति एकड़ कर दिया जाएगा। इन पुरस्कारों के माध्यम से लाई गई अतिरिक्त राशि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सभी वैधानिक लाभ भी शामिल होंगे।

(पहरा 6 और 7)

इसके अलावा, यह माना गया कि राज्य पारंपरिक अर्थों में विरोधी नहीं है और एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए कलेक्टर के मूल्यांकन का मूल्यांकन करने के लिए न्यायालय की सहायता करेगा।

(ए) यह एक कच्चा स्केच का उत्पादन करेगा, भले ही भूस्वामी न करे। उन संपत्तियों का पता लगाएगा जो राज्य द्वारा भरोसा किए गए बिक्री उदाहरणों के साथ-साथ भूमि मालिकों द्वारा भरोसा किए गए बिक्री उदाहरणों के माध्यम से कवर की जाती हैं

(बी) यदि स्केच में स्थित नहीं है, तो अर्जित संपत्ति की बिक्री के उदाहरणों की समानता या अन्यथा जो उदाहरण के रूप में काम कर सकती है या नहीं, उसे समझाया जाएगा।

(सी) अधिग्रहण की प्रासंगिक तिथि पर अर्जित संपत्ति के लिए सर्कल रेट या कलेक्टर दर प्रस्तुत की जाएगी।

(पहरा न0 8)

ए.पी.एस. ंसधू, अधिवक्ता मार्फत अपीलकर्ताओं

उत्तरदाताओं की ओर से डीडी गुप्ता, अतिरिक्त एजी और कुणाल गर्ग, एएजी, हरियाणा।

के. कन्नन, जे. (मौखिक)

(1) सभी अपीलें अर्जित संपत्तियों के मुआवजे को बढ़ाने के लिए हैं। मामला सरल है तथा गणनाएँ उतनी जटिल नहीं हैं। मुकदमेबाजी की यह शैली अदालत में सबसे बड़ी आमद है, यहां तक कि दुर्घटना के दावों से भी अधिक, जिसके निपटान के कोई मिलान परिणाम नहीं हैं। हमें न केवल आसान मुआवजे के लिए बल्कि अधिक सटीक परिणामों के लिए ग्राफिक रूप से सामने लाए गए उच्चतम विवरणों के साथ त्वरित निपटान के लिए एक रणनीति की आवश्यकता है। जो वादी की संतुष्टि का एक उच्च भाग ला सके। मैं निचली अदालतों के लिए एक न्यायिक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दूंगा ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सके। न्यायालय का प्रयास होगा कि वह धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना की तारीख, अर्जित संपत्ति की कुल सीमा, अधिग्रहण का उद्देश्य और कलेक्टर द्वारा किए गए मूल्यांकन का विवरण दे। यदि अतिरिक्त विवरण भी हैं जैसे कि उच्च मूल्यांकन के लिए संपत्ति का स्थान, -तो उसे भी सामने रखा जाना चाहिए। संपत्ति की विशेष विशेषताएं जैसे पेड़ों या संरचनाओं का अस्तित्व भी बताना होगा। यह निर्णय की प्रस्तावना बनेगी।

(2) जबकि कई दस्तावेजों से निपटारे के दौरान, यह अनुभव हुआ है कि पार्टियां अधिसूचना से पहले बिक्री के उदाहरणों पर भरोसा करती हैं यह उचित होगा कि न्यायालय प्रदर्शन संख्याओं, तिथियों, सीमा, प्रतिफल, प्रति एकड़ मूल्य और बिक्री के उदाहरण किसी भी द्वारा दायर किए गए किसी भी रफ/कच्चे स्केच में स्थित हैं या नहीं तथा उसके संदर्भ में बिक्री के आवश्यक विवरणों को सारणीबद्ध करें। संदर्भ न्यायालय या उच्च मंच द्वारा पारित पुरस्कारों के माध्यम से पहले से ही किए गए मूल्यांकन के निर्धारण को भी उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है और न्यायालय अधिसूचना की तारीख, सीमा और गांव जहां संपत्ति स्थित है और के संदर्भ में विवरण निर्धारित करेगा। न्यायालय द्वारा दिया गया मुआवजा उस सीमा तक है जिस हद तक

वे उस समय विचार के लिए प्रासंगिक हैं जब न्यायालय मुआवजा निर्धारित करता है। इससे वादी को यह जानने में आसानी होती है कि मूल्यांकन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और यदि इस तरह के फैसले को उच्च मंच पर चुनौती दी जाती है, तो उच्च न्यायालय बिना किसी देरी के तथ्यों को समझ सकता है। यह दस्तावेज और मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से लाए गए तथ्यात्मक विवरणों के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर सकता है। मैं ट्रायल कोर्ट को अपना देने के लिए एक प्रकार के टेम्पलेट के रूप में निम्नलिखित का सुझाव दूंगा और मैं इस मामले से संबंधित विवरण शामिल करूंगा ।

मैण्ट्र पुरस्कार के विवरण

गांव गांव ढांड जिला कैथल

कुल रकबा 138 कनाल खसरा 87 व 112

भूमि अधिग्रह का उद्देश्य अनाज भंडार की स्थापना हेतु

कलैक्टर अवाई 38,000/- प्रति एकड़ दिनांक 23.03.1995

सम्बन्धित न्यायालय/कोर्ट एल0 डी0 ए0 डी0 जे0 कैथल दिनांक 17.09.1994 मु0 40,000/-

प्रति एकड़

पण् ै।स्म् प्छैज्।छब्म् ै

म्गण् छवण् कंजम म्गजमदज ब्वदेपकमतंजपवद टंसनम चमत ।बतमध् पुण्य ल्कध्

पुण्य जिध्

ैुण् डजतण्

1	2	3	4	5 ;चमत ंबतमद्ध
म्गण्च7	06ध्12ध्78	3ज.1ड	र 15000ध्.	र 40000ध्.
म्गण्च8		1ज.18ड	र 10000ध्.	र 40000ध्.
म्गण्च9		7) ड	र 3000ध्.	र 60000ध्.
म्गण्च10	30ध्03ध्79	2ज	र 15000ध्.	र 60000ध्.
म्गण्च11	11ध्06ध्79	2ज.3ड	र 32000ध्.	र 119069ध्.

चवेज दवजपपिबंजपवद

म्गण्च12	06ध्1984	1ज.2ड	र 13949ध्.	र 104000ध्.
म्गण्च13	06ध्1984	1ज.7ड	र 17000ध्.	र 130000ध्.
म्गण्च14	08ध्06ध्84	1ज	र 12500ध्.	र 100000ध्.
म्गण्च15	18ध्05ध्84	6ड	र 24000ध्.	र 250000ध्.

चतमअपवने ंूंतक

म्गण् छवण् ।ूंतक व िक्पेजतपबज ब्वनतजध् भ्पही ब्वनतज टपससंहम

छवजपपिबंजपवद नध्े 4 ।ूंतक ब्वउचमदैजपवद चमत ंबतम

म्गण्त्1 क्पैज्त्ब्ज् ब्वनतज जंनस

;357 जंदसेद्ध06ध्10ध्83 ₹ 38000ध्.

3. विवरण के साथ बिक्री उदाहरणों को सारणीबद्ध करते समय, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जो संयोगवश तत्काल मामले में भी प्रासंगिक हैं।

(प) बिक्री के मामले अधिसूचना की तारीख से अधिमानतः 4-5 साल के भीतर होंगे। शहरी संपत्तियों के लिए वृद्धि की दर प्रति वर्ष 10-15% और ग्रामीण संपत्तियों के लिए उक्त दर आधी हो सकती है। ;ओएनजीसी लिमिटेड बनाम रमेशभाई जीवनभाई पटेलद्ध

(पप) कई उदाहरणों के मामले में औसत का सिद्धांत केवल तभी अपनाया जाएगा जब कीमतें एक संकीर्ण बैंडविड्थ में हों अंजानी मोलू डेसाई। गोवा राज्य व अन्य (2)

(पपप) न्यायालय बिक्री मूल्यों की गणना से बाहर नहीं रहेगा, केवल इसलिए कि वे कलेक्टर के मूल्यांकन से कम हैं लाल चंद बनाम भारत संघ(3)

(पअ) यदि सामान्यता को नहीं अपनाया जा सकता है, तो उच्चतम मूल्य को अपनाया जा सकता है । मेहरावल खेवाजी ट्रस्टी, पंजाब राज्य(4),

(अ) भूमि के छोटे भूखंडों से संबंधित छोटे उदाहरणों पर बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण के लिए भी भरोसा किया जा सकता है । यदि बड़े विस्तार और समान गुणवत्ता के संबंध में

तुलनीय बिक्री के उपयुक्त उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन विकास की आवश्यकता, भूमि की प्रकृति, स्थान संबंधी लाभ आदि के आधार पर उपयुक्त कटौतियां लागू की जा सकती हैं। प्रभाकर रघुनाथ पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (5)। यह 10% से 67% के बीच या विशेष कारणों से 75% तक हो सकता है।

क्रमांक 87 और 112। अधिग्रहीत भूमि के निकट स्थित संपत्तियों से संबंधित फील्ड स्केच म्गण्च्.5 के माध्यम से लाया जाता है। स्केच से पता चलता है कि खसरा नंबर 125 की संपत्तियों जनता कालेज के पास हैं। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संपत्ति में गैर-कृषि उद्देश्य के लिए बिक्री की संभावना थी। जबकि अधिग्रहित भूमि कृषि भूमि है। इसलिए मूल्य पर विचार करते समय न केवल कृषि भूमि के रूप में बल्कि गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए अर्जित संपत्ति के रूप में भूमि की क्षमता पर ध्यान दिया जा सकता है।

(4) बिक्री के उदाहरणों में जो ऊपर सारणी में दिए गए हैं उनमें यह देखा जा सकता है कि बिक्री भूमि के छोटे पार्सल के संबंध में अपेक्षाकृत रही है। जिनमें से सभी 1 एकड़ के चौथाई से भी कम हैं। वर्ष 1978-79 के लिए बिक्री मूल्य 40,000ध्- से 1,19,069ध्- प्रति एकड़ के बीच है। वर्ष 1984 की अधिसूचना के बाद की बिक्री भी है जिसमें 2,50,000ध्- से 1,30,000ध्- की सीमा में लगभग 6 मरला से 1 कनाल 7 मरला तक की संपत्ति का सौदा किया गया है। अधिसूचना के बाद की बिक्री को आम तौर पर तब प्राथमिकता नहीं दी जाती जब अधिसूचना से पहले ही बिक्री होती है और मैं उन्हें केवल मूल्यांकन के उच्च अंत का प्रतिनिधित्व करने वाले संदर्भ बिंदुओं के रूप में लूंगा है। जिसके आगे मूल्यांकन तय नहीं किया जाएगा। मैं उन्हें

उदाहरण के रूप में त्याग दूंगा और केवल संपत्ति के मूल्य पर ध्यान केंद्रित करूंगा जैसा कि प्रासंगिक के रूप में म्ग्.च7 जव म्ग्.च.11 में दिया गया है।

(5) म्ग्.च.1ण् एकमात्र दस्तावेज है जिसके आधार पर संदर्भ न्यायालय स्वयं मूल्यांकन तय करने के लिए आगे बढ़ा है और इसलिए उस पर विचार करना भी प्रासंगिक हो जाता है। पूर्व धारा 4 दिनांक 06.10.1983 के तहत जारी एक अधिसूचना के माध्यम से 357 कनाल की सीमा तक संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिला न्यायालय का एक निर्णय है। निर्णय कौल में निकटवर्ती गांव में भूमि के लिए समसामयिक अधिग्रहण में किए गए पहले के निर्धारण पर निर्भर करता है। फैसले को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया था जो वर्ष 1981 में 38,000ध्- प्रति एकड़ की दर से अर्जित संपत्ति के संबंध में था। म्ग्.च.1 में निर्णय स्वयं इस तथ्य को संदर्भित करता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय, जिस पर वह भरोसा कर रहा था, स्वयं एक डिवीजनल बेंच के समक्ष अपील के अधीन था और मामला लंबित था। कम से कम इस हद तक, यह नहीं माना जा सकता है कि न्यायालय का केवल म्ग्.च.1 पर भरोसा करना उचित था, जब विशेष निर्णय जिसके आधार पर जिला न्यायालय म्ग्.च.1के तहत निर्णय दे रहा था, वह उच्च अदालत द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय पर नहीं था। जोकि धारा 4 नोटिस से पहले लेन-देन के संबंध में विशेष रूप से उसी गांव से लाए गए दस्तावेज हैं, मुझे लगता है कि म्ग्.च7 जव म्ग्.च.11 संपत्ति के मूल्यांकन के लिए म्ग्.च.1की तुलना में बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

(6) अपीलकर्ता लेन-देन के माध्यम से जो सबसे अच्छी कीमत दिखाने में सक्षम हुए हैं, वह 2 कनाल 3 मार्ला के लिए म्ग्.च.11 के तहत 1,19,069ध्- पर हैं, औसत नहीं अपनाया गया है।

क्योंकि कीमतें बहुत भिन्न होती हैं और म्गण्च.11 प्रतीत नहीं होता है असामान्य रूप से बढ़ा हुआ मूल्यांकन। यह बिक्री वर्ष 1979 के लिए थी और यदि 18.11.1983 की अधिसूचना, जिसके बारे में हम चिंतित हैं, के बाद अगले 4 वर्षों तक कीमत में वृद्धि होनी चाहिए, तो इस तथ्य के लिए भी कटौती लागू की जानी चाहिए कि लेनदेन छोटे के लिए थे 1 या 2 कनाल की संपत्तियों की सीमा, जैसा कि सारणी से पता चलेगा। चूँकि संपत्ति एक गाँव में स्थित है, मैं 7.5% की औसत वृद्धि दर पर ध्यान दूंगा और 4 वर्षों के लिए संपत्ति का मूल्यांकन 30% बढ़ गया होगा। मैं इस तथ्य पर ध्यान दूंगा कि संपत्ति का अधिग्रहण 138 कनाल की सीमा के लिए था जो लगभग 18 एकड़ के बराबर है। वृद्धि के प्रतिशत के रूप में क्या प्राप्त करना चाहिए अर्थात्। इस मामले में 30% की दर से कटौती की जाएगी। क्योंकि संपत्ति की अपेक्षाकृत छोटी सीमा को अधिग्रहीत भूमि की बड़ी सीमा के लिए उदाहरण के रूप में लिया जाता है। उन्होंने खुद को भी बाहर कर लिया और अर्जित संपत्ति के लिए उचित निर्धारण के रूप में 1,20,000- प्रति एकड़ के उच्चतम मूल्य के करीब की कीमत को अपनाया गया।

(7) सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निर्धारित संपत्ति का मूल्य संशोधित और 38,000- प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,20,000- प्रति एकड़ कर दिया जाएगा। इन पुरस्कारों के माध्यम से लाई गई अतिरिक्त राशि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सभी वैधानिक लाभ भी शामिल होंगे।

(8) अलग होने से पहले, मैं यह भी सुझाव दूंगा कि राज्य, जो वृद्धि के लिए कार्यों का बचाव करता है, उसे क्या करना चाहिए। राज्य पारंपरिक अर्थों में एक विरोधी नहीं है और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए कलेक्टर के मूल्यांकन का मूल्यांकन करने में न्यायालय की सहायता करेगा।

(ए) यह एक कच्चा स्केच तैयार करेगा, भले ही भूस्वामी ऐसा न करे। उन संपत्तियों का पता लगाएगा जो राज्य द्वारा भरोसा किए गए बिक्री उदाहरणों के साथ-साथ भूस्वामियों द्वारा भरोसा किए गए बिक्री उदाहरणों के माध्यम से कवर किए गए हैं।

(बी) यदि स्केच में स्थित नहीं है तो अर्जित संपत्ति की बिक्री के उदाहरणों की समानता या अन्यथा जो उदाहरण के रूप में काम कर सकते हैं या नहीं-समझाया जाएगा।

(सी) अधिग्रहण की प्रासंगिक तिथि पर अर्जित संपत्ति के लिए सर्कल रेट या कलेक्टर दर प्रस्तुत की जाएगी।

(9) यह वांछनीय है कि सार्वजनिक परामर्श के बाद और पारदर्शी तरीके से कॉलोनाइजर्स/उपनिवेशवादियों सहित कई हितधारकों को शामिल करके, कार्यवाही में सर्कल दरों के निर्धारण के लिए आधार का हवाला देते हुए बिक्री उदाहरणों से संबंधित डेटा का हवाला देते हुए तथा सर्कल दरें स्वयं तय की जाती हैं। बाजार के रुझान को प्रतिबिंबित करें। यह एक हद तक निश्चितता की ओर बढ़ेगा जो आगे चलकर अभिग्रहीत भूमि के मूल्यों के निर्धारण का आधार बन सकता है। इस तरह, भूस्वामियों की उच्च कीमत की उपेक्षाओं और कलेक्टर के मूल्यांकन के बीच बेमेल को कम किया जाएगा और सभी संबंधित पक्षों की अधिक संतुष्टि का मार्ग प्रशस्त होगा। उच्च न्यायालय में मामलों की सबसे अधिक आमद केवल भूमि अधिग्रहण मामलों के क्षेत्र में है, क्योंकि मुकदमेबाजी संतुष्टि का स्तर बहुत कम है और अपीलों में पुरस्कारों में संशोधन की संभावनाएं उज्ज्वल मानी जाती हैं, जो स्वयं अपील को प्राथमिकता देने

के लिए प्रोत्साहन हैं। . जानकारी के तौर पर, 1 जनवरी 2012 तक इस उच्च न्यायालय की फाइल पर भूमि अधिग्रहण मामलों में मुआवजे के लिए 28,399 अपीलें थीं। 14 जनवरी 2012 से 30 नवंबर 2012 के बीच 6487 मामले (यानी प्रति माह 500 से ज्यादा) कायम किये गये तथा निपटाए गए मामलों की संख्या 5605 थी और 30 नवंबर 2012 तक, 29,274 मामले लंबित थे। जो कि वर्ष के अनुसार हमारी राय से अधिक मामले थे। सबसे अप्रिय तमाशा जो इन आँकड़ों से उजागर नहीं होता वह यह है कि लगभग आधे मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। मुकदमेबाजी की कुछ श्रेणियां जिनमें जोड़, गुणा, भाग और न्यायिक सिद्धांतों के सीधे आवेदन की केवल यांत्रिक (और कम मस्तिष्क संबंधी) गतिविधियां शामिल हैं। उन्हें अधिक गंभीर मुद्दों को जगह देनी चाहिए जो न्यायिक तर्क और व्याख्यात्मक फॉरेंसिक कौशल के अधिक सटीक मानकों को रखते हैं जो न्यायिक की दुहाई देते हैं। अपीलों में निर्णय. बार के सक्रिय सहयोग से नवीन न्यायिक दृष्टिकोण के माध्यम से त्वरित निपटान के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। जिन देशों में लंबित मामलों की संख्या कम है, वहां यह मंत्र नए मामले शुरू करने में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। ऐसा प्रयास न्याय तक पहुंच को अधिकतम करने की संवैधानिक योजना के विपरीत है। तकनीक अधिक सुरक्षित करने की है । जोकि सहभागी, सहयोगात्मक तरीके से बैंग को सार्थक सहायता प्रदान करके अधिनिर्णायक कार्यक्रम में बार की भागीदारी स्वयं को प्रभावित करती है। यह उन गैसों में अधिक प्रासंगिक है जो मुआवजे के दावों से निपटते हैं, चाहे वे संपत्ति के अनिवार्य अभाव द्वारा भूमि अधिग्रहण गैसों हों या अंगों के आकस्मिक अभाव या शरीर की चोटों से चोट मृत्यु हों।

(10) पुरस्कारों को संशोधित किया गया है और अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी गई है, जैसा कि ऊपर पैरा 6 में बताया गया

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा